न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 10/17 **निर्णय दिनांकः— 27.08.2018**

1. चन्द्राराम पुत्र किसनाराम जाति बनबावरिया निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, डूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 27—03—1996
जिला कलेक्टर, चूरू

2. अपील संख्या 53/17

1. चन्द्राराम पुत्र किसनाराम जाति बनबावरिया निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, डूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08—05—2017
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—
1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें जिला कलेक्टर चूरू के आदेश दिनांक 27—03—1996 व उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08—05—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि साबिका खसरा नम्बर 87 तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा वाके रोही गोपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ अपीलांट को विधिवत आवंटित रकबा रहा है। जिस पर अपीलांट का आवंटन के समय से ही निरन्तर शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस, सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे बाला—बाला एकतरफा तौर पर की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस प्रकरणों में एकजाई निर्णय पारित किया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई करने के उपरान्त विधिवत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट को आवंटित भूमि पर विधिवत खातेदारी अधिकार हासिल हो गये थे। अदालत मातहत द्वारा सरसरी तौर पर कई दशकों के उपरान्त आवंटन खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कानून, कानूनी प्रक्रियाओं, व अनिवार्यताओं को ताक पर रखकर स्वेच्छा पूर्वक मनमर्जी तरीके से अपीलांट के विधिवत आवंटन को बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये खारिज किया गया है। जिसको खारिज करने का कतई अधिकार अदालत मातहत को हासिल नहीं था। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि गांव

वासियों व आवंटी के मध्य विवाद पैदा होने की संभावना है तथा कुछ आवंटी तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के अनुसार मौके पर गांव में मौजूद नहीं पाये गये। इस आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ को अदालत मातहत के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण अपोषणीय व चलने योग्य नहीं था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत अपीलांट का आवंटन खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

प्रकरण में अदालत मातहत के निर्णय का मुख्य आधार तहसीलदार की रिपोर्ट है। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि आवंटी मौके पर मौजूद नहीं मिला ना ही गावं में निवास करता है। जबकि यह तथ्य निर्विवाद है कि संवत् 2028 से 2035 तक अकाल की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर काश्त संभव नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में जो आधार लिया गया है कि यदि खाली पड़ी भूमि पर आवंटीज को अब कब्जा दिलाया जाता है तो गांव वासियों एवं आवंटीज के मध्य झगड़ा–फसाद होकर विवाद होने की संभावनाऍ है। उक्त आधार के आधार पर धारा 14(4) के तहत अपीलांट के हक समाप्त नहीं किये जा सकते है। जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव यह माना है कि वादगत् भूमि मौके पर खाली पड़ी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 53/17 में बहस करते हुए कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में रिकार्ड के विपरीत जाकर मात्र जिला कलेक्टर, चूरू के आदेश दिनांक 27–03–1996 को आधार मानकर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो नियमानुसार तनकीयात कायम की गइ ना ही साक्ष्य व सबूत

का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून प्रक्रिया अपनाये बिना मात्र सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो मौके की कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की गई ना ही अपीलांट के आवंटन की किसी प्रकार की कोई जॉच की गईं। जबकि यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि खेत साबिका खसरा नम्बर 87 तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम गोपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ को सक्षम करवाते हुए धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा एआईआर 1999 पेज 174 एससी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के संबंध में सीसीआर 1998 पेज 33 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की अपीलें वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने के फलस्वरूप खारिज की गई है। अपीलांट का वादगत् भूमि पर कभी भी

कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर वादगत् भूमि पर अन्य गावं वासियों का कब्जा काश्त हैं। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। स्वीकार योग्य कथन नही है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की अपीलांट पर विधिवत तामील हुई है। अपीलांट तामील उपरान्त भी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में सर्वप्रथम जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा पारित आदेश का परिक्षण किया गया। अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर, चूरू के आदेश दिनांक 27—03—1996 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 18—07—2017 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, चूंकि प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु सारभूत बिन्दु निहित है ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत होगा।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि खेत साबिका खसरा नम्बर 87 तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाके रोही गोपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ अपीलांट को विधिवत आवंटित भूमि है। जिस पर अपीलांट का आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अतः अपीलांट को वादगत् भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथमतः जिला कलेक्टर, चूरू के आदेश की समीक्षा की जावे तो अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह यह स्थिति सामने आती है अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 03—07—1995 को नोटिस जारी किये गये कि वाके रोही गोपालसर की भूमि खेत खसरा नम्बर 87 तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि संवत् 2024 में काश्त हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ एवं तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ की जॉच रिपोर्ट के मुताबिक आवंटित भूमि पर आपका कभी भी कब्जा काश्त नहीं पाया गया है बल्कि अन्य लोगों द्वारा खाली भूमि पर कब्जा किया जाना पाया गया है। आपको आवंटित भूमि की 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने जाने पर भी नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त नहीं की और राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन की शर्तो का उल्लंधन किया गया है। अतः क्यों न आपका आवंटन खारिज किया जावे। इस संबंध मं अपना लिखित अथवा मौखिक कथन दिनांक 11—07—1995 को प्रस्तुत करें।

उक्त नोटिस की पुश्त का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर अपीलांट चन्द्राराम की अंगुठा निशानी अंकित है तथा उक्त नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदालत मातहत को प्राप्त हुए कि सायल को एक प्रकति देकर तामील करवा दी गई है। रिपोर्ट सेवा में पेश हैं। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की अपीलांट को विधिवत तामील हो चुकी थी।

प्रकरण में इसी प्रकार एक अन्य नोटिस जारी करना पाया जाता है। उक्त नोटिस की तामील भी अपीलांट पर विधिवत प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

(4) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मौका देखा गया। मौके पर चन्द्रा वल्द किसना कौम बनबावरिया साकिन गोपालसर का कब्ज काश्त नहीं होना पाया गया। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि कार्यो में उपयोग नहीं आ रही है। वर्तमान में वादगत् भूमि पर अन्य पन्द्रह व्यक्तियों का कब्जा काश्त अर्थात मौके पर क्रमशः आबाद कच्चा घर, पक्का मंदिर श्री शिवजी पुजारी माननीय जोगी, बाड़न, चूना भट्टा व बाड़ा आदि बने हुए है। इस प्रकार वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि किसी भी काश्तकार को भूमि का आवंटन मौके पर काबिज होकर काश्त करने हेतु किया जाता है। यदि किसी काश्तकार द्वारा मौके पर काबिज होकर काश्त नहीं की जाती है तो ऐसा कृत्य आवंटन नियमों की अवहेलना व उल्लंधन की श्रेणी में आता है।

अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है इस प्रकार अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हुए है। वादगत् भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्ग आवंटन निरस्त किये गये है। अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। इस प्रकार अपीलांट द्वारा स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेहना व उल्लंघन किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा अपीलांट की अपील खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

(5) प्रस्तुत मामलें में वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा बाबत् अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज किया गया है कि चूंकि जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27—03—1996 के द्वारा वादी का 25 वर्षो से अधिक समय तक आवंटित भूमि पर कब्जा होने होने तथा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी।

(6) प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् कभी भी वादगत् भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ना ही कब्जा प्राप्त करते हुए काश्त की गई है। जबकि आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि किसी भी काश्तकार को भूमि का आवंटन इसी आधार पर किया जाता है कि वे आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करते हुए विधिवत रूप से काश्त करें। जबकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट द्वारा विगत् 25 वर्षो से भी अधिक समय पर वादगत् भूमि पर उपस्थित होकर कब्जा काश्त नहीं किया गया है तथा वादगत् भूमि पर वर्तमान में अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अन्य व्यक्तियों के आबाद कच्चा घर, पक्का मंदिर श्री शिवजी पुजारी माननीय जोगी, बाड़न, चूना भट्टा व बाड़ा आदि बने हुए है। ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि मौके पर खाली नहीं है तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है।

प्रकरण में जहॉ तक अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है उक्त नजीर मामलें पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ना ही मौके पर उपस्थित होकर काश्त की गई है। अतः उक्त नजीर प्रस्तुत मामलें पर चस्पा नहीं होना पाई जाती है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राप्त मौके की रिपोर्ट व आवंटन नियमों के अनुसरण में यह पाये जाने पर कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् कभी भी मौके पर कब्जा प्राप्त करते हुए काश्त नहीं की गई तथा वर्तमान में मौके पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है, उक्त तथ्य के प्रकाश में अपीलांट के आवंटन को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की गई है। अपीलांट अब इन अपीलों के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर, चूरू दिनांक 27—03—1996 व उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 08—05—2017 यथावत बहाल रखे जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर